

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3(1)2011 / कार्मिक / से.नि. / प्रमुखसं / पार्ट-V /

दिनांक :

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के उप नियम-56 एवं शासन सचिव, वित्त विभाग (नियम अनुभाग), जयपुर के परिपत्र क्रमांक पं. 1 (6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अनुसरण में विभाग में कार्यरत निम्नांकित मंत्रालयिक कार्मिकों द्वारा 60 वर्ष (अवधि दिनांक 02.04.2023 से 31.03.2024 तक) की अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक (कॉलम संख्या-5) को अपराह्न में राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
निजी सचिव				
1	आनन्द सिंह राठौड़	निजी सचिव	06.12.1963	31.12.2023
2	चन्द्र प्रकाश शर्मा	निजी सचिव	18.02.1964	29.02.2024
अतिरिक्त निजी सचिव				
3	अजीत कुमार जैन	अतिरिक्त निजी सचिव	07.01.1964	31.01.2024
4	बजरंग कुमार गुप्ता	अतिरिक्त निजी सचिव	22.02.1964	29.02.2024
संस्थापन अधिकारी				
5	रामकिशन मीणा	संस्थापन अधिकारी	25.06.1963	30.06.2023
प्रशासनिक अधिकारी				
6	किशनदास जाटव	प्रशासनिक अधिकारी	11.07.1963	31.07.2023
7	श्रवण कुमार मीणा	प्रशासनिक अधिकारी	10.10.1963	31.10.2023
8	विनोद कुमार विजय	प्रशासनिक अधिकारी	30.11.1963	30.11.2023
9	दिलीप कुमार अरोडा	प्रशासनिक अधिकारी	05.07.1963	31.07.2023
10	मोहम्मद सदीक	प्रशासनिक अधिकारी	12.12.1963	31.12.2023
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी				
11	मोहम्मद शरीफ	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01.01.1964	31.12.2023
12	राजेन्द्र सिंह खींची	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	07.09.1963	30.09.2023
13	भजाराम	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	12.12.1963	31.12.2023
सहायक प्रशासनिक अधिकारी				
14	चन्द्र कान्ता आसनानी	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05.01.1964	31.01.2024
15	ओम प्रकाश गौतम	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	02.07.1963	31.07.2023
16	उदय प्रताप चन्द्र	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	12.01.1964	31.01.2024
17	सूर्य कान्त व्यास	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	17.05.1963	31.05.2023
18	महेश कुमार बाफना	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	01.12.1963	30.11.2023

Signature valid

Digitally signed by Deep Narayan Pandey
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.03.24 11:21:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3464525



वरिष्ठ सहायक				
19	आन्नदी लाल हर्ष	वरिष्ठ सहायक	06.12.1963	31.12.2023
20	तेजसिंह भाटी	वरिष्ठ सहायक	12.06.1963	30.06.2023

वित्त विभाग (नियम) अनुभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक पं. 12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या 01 से 18 एवं 20 पर अंकित मंत्रालयिक कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

नोट:- क्रम संख्या 19 पर अंकित कार्मिक श्री आन्नदी लाल हर्ष, वरिष्ठ सहायक को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 818-823 दिनांक 29.06.2020 से निलम्बित किया गया था, एवं आदेश क्रमांक 2235-2243 दिनांक 14.10.2020 से उनके विरुद्ध लम्बित जाँच पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निलम्बन से बहाल किया गया है।

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने एवं कार्मिकों के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो माह की अवधि में राजकीय आवास रिक्ति कराने की शर्त पर जारी की जाती है।

उक्त कार्मिकों के पेंशन परिलामों के नियमानुसार भुगतान में विलम्ब की स्थिति के लिए कार्यालयाध्यक्ष उत्तरदायी होगा।

(डॉ. दीप नारायण पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3(1)2011/कार्मिक/से.नि./प्रमुवसं/पार्ट-V/706-60

दिनांक : 28.03.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव, प्रतिपालक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार/मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/कोटा/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/वन्यजीव, जोधपुर/विभागीय, कार्य जयपुर /उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक कार्यालय हाजा/उप वन संरक्षक, कोटा/झालावाड/ सवाईमाधोपुर/जैसलमेर/विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित/प्रस्तावित अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो, तो अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवावे जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।
3. कोषाधिकारी कोषालय, जयपुर/कोटा/झालावाड/सवाईमाधोपुर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
4. उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा।
5. सम्बन्धित कार्मिक
6. प्रभारी जाँच/गोपनीय/कार्मिक (मंत्रालयिक) अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.-प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

Signature valid

Digitally signed by Deep Narayan
Pandey
Designation : Principle Chief
Conservator Of Forest
Date: 2023.03.24 11:21:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3464525

